FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज०)
सरकार बनाम इब्राहिम
प्रकरण सीआईएस नं. 613/2025
CNR No. RJSK140003512012

दिनांक 06.08.2026

अभियेाजन अधिकारी उपस्थित। अधिवक्ता परिवादी उपस्थित। अभियुक्त इब्राहिम अनुपस्थित की हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश हुआ जो स्वीकार किया गया। बहस चार्ज उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप की विरचना की जाकर विचारण किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप बनना नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध से उन्मोचित किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि परिवादी असगर अली द्वारा न्यायालय के समक्ष एक परिवाद विरूद्ध इब्राहिम वगैरह अन्तर्गत धारा 420, 465, 466, 467, 468, 471, 120बी भा०दं०सं० इस आशय का पेश किया कि परिवादी के दादा मरहूम उमर उर्फ उमरदीन पुत्र घीसा तेली थे, जिनके नाम से एक खेत ख. नं. 341 रकबा 11 बीघा पुख्ता जिसका हैक्टर में रकबा 2.78 हैक्टर वाके ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ़ में अवस्थित है जिसका खाता परिवादी के दादा उमर के नाम से चला आ रहा था। उक्त उमर के तीन पुत्र थे जिनके नाम निमाजुदीन, सिराजुदीन तथा रहीम बक्स हैं, जिनकी भी मृत्यू हो चकी है तथा अभियुक्त संख्या 1 निजामुदीन का पुत्र है तथा अभियुक्त संख्या 2 लगायत 5 निजामुदीन के पौत्र हैं। इस प्रकार उक्त उमर परिवादी का भी दादा लगता था तथा अभियुक्त संख्या 1 इब्राहिम का भी दादा

लगता था तथा उक्त उमर की मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि भूमि, उमर के तीन पुत्रों के 1/3, 1/3 हिस्सा था तथा 1/3 हिस्सा में परिवादी तथा उसके अन्य भाई, जो रहीम बक्स पुत्र उमर के वारिस थे, तथा 1/3 हिस्सा निजामुदीन पुत्र उमर तथा उसका वारिस होने से अभियुक्त संख्या 1 इब्राहिम का तथा 1/3 हिस्सा सरिजुदीन पुत्र उमर का था। अभियुक्तगण ने ख.नं. 341 को हड़पने की नीयत से राजस्व अधिकारियों से साजिश कर खाते में दर्ज नाम उमर के साथ ही हकीम का नाम भी दर्ज करवा दिया। जबकि उक्त खेत केवल उमर का था। फिर उक्त उमर के मरने पर अभियुक्त इब्राहिम ने अपने आपको अवैध रूप से प्रवंचना कर उमर हकीम का पुत्र बताकर तथा उमर की मृत्यु की सूचना उमर हकीम नाम से दर्ज करवा कर नगर पालिका लक्ष्मणगढ में झूठा शपथ पत्र देकर धोखाधड़ी करने की नीयत से उमर हकीम पुत्र घीसा के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 24.02.99 को प्राप्त कर कूटरचना की तथा अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु उमर एवं हकीम, जो दो व्यक्ति थे, को एक ही व्यक्ति बताकर उसका स्वयं अपने आपको एकमात्र पुत्र बताया तथा बेईमानीपूर्वक हकीम की पत्नी फातमा को गलत रूप से उमर हकीम दोनों की बेवा बताया तथा उक्त कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र को पटवारी हलका से साजिश कर उसको प्रस्तुत कर दिया तथा तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर खेत ख.नं. 341 वाके ग्राम कन्टेवा की खातेदारी अवैध रूप से अपने नाम तथा फातमा बैवा हकीम के नाम सम्पूर्ण की बनवा ली, जिसका नामान्तकरण संख्या 497 दिनांक 11.03.1999 है तथा अभियुक्त ने बेईमानीपूर्वक आशय से उमर के शेष वारिसों के परिवार व अन्यों का हिस्सा हड़पने की नीयत से संपूर्ण खेत को अपने नाम करा लिया। उसके पश्चात् इब्राहिम ने अन्य अभियुक्तगण से आपस में साजिश कर हकीम की पत्नी फातमा की मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी फातमा बैवा उमर हकीम के नाम से दिनांक 21.04.2003 को नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में झूठी सूचना शपथ पत्र देकर प्राप्त कर लिया तथा उक्त कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र फातमा बैवा हकीम के आधार पर खुद फातमा का पुत्र बनकर खेत ख.नं. 341 में फातमा के नाम बनी खातेदारी भी साशय अवैध रूप से अपने नाम बनवा लिया तथा

बेईमानी एवं धोखाधड़ी कर खेत ख.नं. 341 का पूरे का खातेदार अभियुक्त इब्राहिम बन गया तथा अवैध रूप से लाभ प्राप्त कर परिवादी व अन्य को सदोष हानि पहुंचाई है... ... आदि।

उक्त परिवाद धारा 156 (3) दं०प्र०सं० के तहत अनुसंधान हेतु थाना लक्ष्मणगढ़ प्रेषित किया गया जिस पर बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू सिविल नेचर में प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त इब्राहिम के विरूद्ध धारा 420 भा०दं०सं० का ही आरोप मानते हुए उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात प्रिचार्ज साक्ष्य में गवाह पी०ड० 1 असगर अली, पी०ड० 2 मोहम्मद हमीद के बयान लेखबद्ध किये गये।

गवाह पी०ड० 1 असगर अली ने प्रिचार्ज साक्ष्य में परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि न्यायालय में उसके द्वारा पेश किया गया इस्तगासा प्रदर्श् पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दादा हकीम की सीकर में मृत्यु होने का नगरपरिषद सीकर द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श् पी 2 है। इब्राहीम द्वारा लक्ष्मणगढ़ में गलत सूचना देकर उमर हकीम नाम से बनवाया गया मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श् पी 3 है। जिसमें इतला देने वाले के रूप में इब्राहीम का नाम अंकित है। फातमा की मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श् पी 4 है। उक्त प्रमाण पत्र अनवर द्वारा बनवाया गया। जिसमे फातमा उमर हकीम की पत्नी बताया है। वोटर लिस्ट 2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श् पी 5 है जिसमें इब्राहीम के पिता का नाम निजामुद्दीन अंकित है। वोटर लिस्ट साल 2014 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श् पी 6 है जिसमें भी इब्राहीम के पिता का नाम निजामुद्दीन अंकित है। वोटर लिस्ट प्रविष्टि 01.01.1961 में हकीम पुत्र मंगतु एवं फातमा पत्नी हकीम के नाम की प्रविष्टि की है जो प्रदर्श् पी 7 है। खसरा नंबर 341 जमीन उसके दादा उमर वल्द घीसा के नाम होने के राजस्व रिकार्ड संवत 2012 की प्रति प्रदर्श् पी 8 है इस खसरा की वर्ष् 2014 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श् पी 9 है जिसमे उमर व हकीम पिता घीसा करवाया हुआ है जो कि इब्राहीम के द्वारा गलत रूप से अंकित करवाया गया है। इसी खसरा की साल 2019 से 2022 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श् पी 10 है जिसमें उमर हकीम के

नाम से गलत प्रविष्टि करवाई हुई है जो प्रदर्श् पी 9 में अंकित व शब्द को हटाकर उमर व हकीम को एक ही व्यक्ति बना दिया गया है। फातमा की मृत्यु होने पर इब्राहीम के नाम से नामांतरण खोला गया जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श् पी 11 है। प्रदर्श् पी 11 के आधार पर खसरा नंबर 341 की संपूर्ण जमीन इब्राहीम के नाम इब्राहीम ने उमर हकीम का पुत्र बताकर अपने नाम चढवा ली। हकीम की मृत्यु पर उमर हकीम का पुत्र बताकर इब्राहीम व उसकी पत्नी फातमा के नाम से जो नामातंरणकरण खोला गया है उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श् पी 12 है। इस नामातंरण पत्र में इब्राहीम पुत्र उमरद्दीन लिखकर उमर दीन को काटकर हकीम के आगे उमर जोडा हुआ है। साल 2060 से 2063 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श् पी 13 है। जिसमें इब्राहीम पुत्र उमर हकीम व फातमा बेवा उमर हकीम का नाम दर्ज है। हकीम की मृत्यु का प्रमाण पत्र नगरपरिषद सीकर से बनवाया हुआ है जो असल प्रदर्श् पी 2 है। इसी न्यायालय में उनके घर का एक मुकदमा इब्राहीम बनाम असगर अली आदि के नाम से चल रहा है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श् पी 14 है। इस दावे में इब्राहीम ने अपने पिता का नाम नजमुद्दीन अंकित कर रखा है। दावा प्रदर्श् पी 14 के पैरा सं० 2 में इब्राहीम ने उनकी पूरी वंशावली का अंकन कर रखा है जिसमें उमर ,जमाल व हकीम को तीन अलग–अलग व्यक्ति अंकित कर रखा है तथा स्वयं को नजमुद्दीन का पुत्र अंकित कर उमर व हकीम को एक व्यक्ति नही बता रखा है। इब्राहीम ने दावे के समर्थन में जो शपथ पत्र पेश किया है उसमें भी अपने पिता का नाम नजमुद्दीन अंकित किया है, उमर हकीम अंकित नहीं किया है। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श् पी 15 है। इस दावे में इब्राहीम ने साक्ष्य के लिये अपना शपथ पत्र पेश किया है उसमें भी अपने पिता का नाम नजमुद्दीन अंकित कर इब्राहीम से की गई जिरह में अपने आप को नजमुद्दीन का बेटा बताना सशपथ अंकित करता है। हकीम का बेटा नही है यह भी अंकन करवाता है। इब्राहीम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श् पी 16 है। इब्राहीम से की गई जिरह की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श् पी 17 है। इस प्रकार इब्राहीम स्वयं नजमुद्दीन का लड़का है लेकिन वह अपने आप को उसके दोनों दादा उमर हकीम का लड़का बनकर खेत खसरा नंबर 341 अपने

नाम संपूर्ण भूमि करवाकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। वह न्यायालय से चाहता है कि उसे उसकी जमीन दिलवायी जाए और इब्राहीम द्वारा किए गए अपराध् की उसे सजा दिलवाई जावे। **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि खसरा नंबर 341 11 बीघा पक्की भूमि है। खसरा नंबर 341 की खातेदारी संवत 2012 में उमर वल्द घीसा के नाम से बनी है। जमाबंदी संवत 2012 प्रदर्श डी 1 है। संवत 2013 से 2016 में खसरा नंबर 341 की खातेदारी उमर हकीम पुत्र घीसा के नाम से है जो प्रदर्श डी 2 है। अजखुद कहा कि जो गलत है। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि हकीम और उमर हकीम एक ही व्यक्ति का नाम है। खसरा नंबर 341 की खातेदारी हकीम के जीवनकाल में ही उमर हकीम के नाम से दर्ज हो गई थी। इब्राहीम ने उसके दादा को बताये बिना ही उमर हकीम के नाम से खातेदारी दर्ज कराई। उसने ऐसा कोई कागज प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ पत्रावली पर पेश नहीं किया है जिसमें इब्राहीम ने उसके दादा को बताये बिना खसरा नंबर 341 की खातेदारी उमर हकीम के नाम से दर्ज करा दी हो। इब्राहीम ने खसरा नंबर 341 की खातेदारी उमर हकीम के नाम कौनसे सन् में दर्ज कराई वह नहीं बता सकता। खसरा नंबर 341 की खातेदारी उमर हकीम की मृत्यु होने तक राजस्व रिकॉर्ड में उमर हकीम के नाम से चली आ रही थी। हकीम का देहान्त दिनांक 23.01.1999 में हुआ था जो वी के जैन अस्पताल सीकर में हुआ था। प्रदर्श पी. 2 में अब्दुल हकीम का मृत्यु प्रमाण पत्र इब्राहिम ने बनवाया हो, ऐसा कोई अंकन नही है। प्रदर्श पी 2 वीके जैन अस्पताल सीकर की सूचना पर नगर परिषद सीकर में बना था। प्रदर्श पी 3 पर इब्राहिम के कोई हस्ताक्षर नहीं है। कोई भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नगपालिका में आवेदन देना पड़ता है। प्रदर्श पी 3 प्राप्त करने के लिए इब्राहिम ने नगरपालिका में कोई आवेदन किया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। इब्राहीम ने उक्त खाते की पंजाब नेशनल बैंक को रहन किया था। जब खसरा नंबर 341 की जमीन पंजाब नेशनल बैंक को रहन की उस समय उसकी खातेदारी उमर हकीम के नाम से थी और हकीम उस समय जिंदा थे। हकीम जी के देहान्त के बाद खसरा नंबर 341 का नामान्तरण इब्राहीम व हकीम की पत्नी के नाम से दर्ज हुआ था।

अजखुद कहा कि उन्होंने गलत सूचना देकर दर्ज कराया था। प्रदर्श पी 12 नामान्तरकरण उमर हकीम के देहान्त के बाद इब्राहीम एवं उमर हकीम की पत्नी फातिमा के नाम से दर्ज हुआ है। प्रदर्श पी 12 में इब्राहीम द्वारा उक्त नामान्तरण तैयार करवाने का इसमें अंकन नहीं है। प्रदर्श पी 12 में इब्राहीम के द्वारा उमर हकीम का मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत मे देकर उसे स्वीकृत कराया हो ऐसा कोई अंकन नही है। प्रदर्श पी 12 के आधार पर ही खसरा नंबर 341 की खातेदारी इब्राहीम और फातमा के नाम दर्ज हुई है। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा उमर हकीम पुत्र घीसा के नाम दिनांक 04.04.1973 व 11.02.1974 का पत्र उसके ऋण खाते में बकाया रकम जमा कराने का भिजवाया गया जो प्रदर्श डी 3 है। नामान्तरण सं० 210 के जरिये उमर हकीम के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से अपनी जमीन को अपने जीवनकाल में रहन मुक्त कराई थी जिसका नामान्तरकर प्रदर्श डी.4 है। फातमा की मृत्यु दिनांक 21.04.2003 को हुई थी। उमर हकीम की मृत्यु होने के बाद खसरा नंबर 341 की खातेदारी फातमा पत्नी उमर हकीम के नाम से दर्ज हुई। फातमा की मृत्यु होने तक उक्त खसरे की खातेदारी फातमा पत्नी उमर हकीम के नाम से ही दर्ज रही है। प्रदर्श पी 11 के जरिये नामान्तरण सं० 644 के जरिये खसरा नंबर 341 की संपूर्ण खातेदारी इब्राहीम के नाम से दर्ज हो गई। उसने खसरा नंबर 341 की खातेदारी को राजस्व न्यायालय में चुनौति दे रखी है और वो आज भी राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। प्रदर्श डी 5 के जरिये खसरा नंबर 341 की खातेदारी उमर हकीम से पंजाब नेशनल बैंक के रहनबिन कब्ज 03.10.1973 को दर्ज हुई थी। खसरा नंबर 341 की जमीन आज की तारीख में इब्राहीम के हिस्से मे है। अजखुद कहा कि जो गलत है। खसरा नंबर 341 की खातेदारी संवत 2012 से उमर हकीम के नाम से चली आ रही है। अजखुद कहा कि जो गलत है। 268 की खातेदारी में उमर वल्द मंगतु दर्ज है जबकि खसरा नंबर 341 की खातेदारी उमर हकीम पुत्र घीसा के नाम है। खसरा नंबर 268 की जमाबंदी जो संवत 2014 से 2017 की जमाबंदी प्रदर्श डी 6 है व खसरा नंबर 341 की जमाबंदी संवत 2039 से 2042 प्रदर्श डी 7 है। खसरा नंबर 341 की खातेदारी उमर हकीम के नाम होने से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी उमर हकीम

के नाम से बना। खसरा नंबर 341 की खातेदारी उमर हकीम के नाम से हकीम के जीवनकाल में ही थी। उमर हकीम पुत्र घीसा के नाम से खसरा नंबर 341 की भूमि को दो जून 1973 को रहन रखकर उसकी रजिस्ट्री उपंजीयन कार्यालय लक्ष्मणगढ़ में करवाई थी जो प्रदर्श डी 8 है जिस पर ए से बी हस्ताक्षर उमर हकीम के नहीं है क्योकि उसके दादा हकीम अंगूठा लगाते थे। प्रदर्श पी. 3 व 4 के अलावा अन्य ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है जो इब्राहिम द्वारा तैयार करवाकर खसरा नंबर 341 की खातेदारी अपने नाम करायी हो। प्रदर्श पी. 3 व 4 पर इब्राहिम का नाम लिखा होने से वह इन दस्तावेजों को इब्राहिम के द्वारा तैयार होना बता रहा है। इब्राहिम में हस्ताक्षरों व अंगूठा निशानी की कोई एफएसएल जांच उसने नहीं करायी थी।

गवाह पी०ड० 2 मोहम्मद हमीद ने प्रिचार्ज साक्ष्य में गवाह असगर अली की साक्ष्य एवं परिवाद में अंकित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि अब्दुल हकीम पुत्र घीसा के नाम का राशन कार्ड नम्बर 94420 प्रदर्श पी 18 है जो अधिशाषी अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के द्वारा जारी है जिसके अंतिम पेज पर वारिसान का खुलासा है जिसमें 01 नंबर अब्दुल हकीम स्वयं, 02 नम्बर फातमा व 03 नम्बर पर बरकत पुत्री का उल्लेख है। इब्राहीम पुत्र नजमुदीन के नाम से बना हुआ परिवार का राशन कार्ड नंबर 94423 प्रदर्श पी 19 है जिसके अंतिम पेज पर ए से भी भाग में परिवार के सभी सदस्यों का उल्लेख है। इब्राहीम पुत्र नजमुदीन के नाम से जारी परिवार राशन कार्ड संख्या 1961 प्रदर्श पी 20 है जिसके ए से बी भाग में परिवार के सदस्यों का उल्लेख है। हकीम के नाम से विद्युत विभाग की रसीदे क्रमशः प्रदर्श पी 21 लगायत 24 है। चुंगी रसीदों की कार्बन रसीद प्रदर्श पी 25 लगायत प्रदर्श पी 30 है। जिनमें आयातकर्ता का नाम ए से बी इब्राहीम पुत्र नजमुद्दीन इन्द्राज है। असल पोस्टकार्ड प्रदर्श पी 31 लगायत प्रदर्श पी 33 है तथा लिफाफा प्रदर्श पी 34 लगायत प्रदर्श पी 35 है। लिफाफा व पोस्टकार्ड पर ए से बी हाजी अब्दुल हकीम इन्द्राज है। इंतजामिया कुरेशी कमेटी द्वारा जारी रसीद प्रदर्श पी 36 व 37 है जिन पर ए से बी हाजी हकीम का नाम दर्ज है। लिफाफा प्रदर्श पी 38 जिस पर ए से बी उमर घीसातेली इन्द्राज है।

पोस्टकार्ड प्रदर्श पी 39 व 40 है जिस पर ए से बी इब्राहीम निजामुद्दीन का नाम इन्द्राज है। लिफाफा प्रदर्श पी 41 व 42 है जिस पर ए से बी इब्राहीम निजामुद्दीन का नाम इन्द्राज है। कोष सेवा संघ अकाल राहत कार्ड प्रदर्श पी 42 व 43 है जिस पर ए से बी इब्राहीम पुत्र निजामुद्दीन इन्द्राज है। **प्रतिपरीक्षा** में उक्त गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी. 25 से 30 पर नगरपालिका की कोई मोहर नहीं है। प्रदर्श पी. 31 लगायत प्रदर्श पी. 33 में उसका नाम अंकित नहीं है। हकीम किा देहान्त वर्ष 1999 में हो गया था। प्रदर्श पी. 38 हकीम से संबंधित नहीं है बल्कि उमर घीसा से संबंधित है। खसरा नंबर 268 की खातेदारी में उमर की वल्दियत मंगतु उर्फ घीसा अंकित नहीं है। प्रदर्श पी. 38 हकीम से संबंधित नहीं है। प्रदर्श पी. 12 के जरिये खसरा नंबर 341 की खातेदारी उमर हकीम पुत्र घीसा के स्थान पर इब्राहिम व फातिमा के नमा दर्ज होना अंकित है जो कि गलत अंकित है। उमर हकीम अनपढ़ था। उमर हकीम का मृत्यु प्रमाण पत्र इब्राहिम द्वारा तैयार किया गया हो ऐसा कोई कागज पत्रावली में पेश नहीं है। उमर हकीम व फातमा के मृत्यु प्रमाण पत्र उसके सामने तैयार नहीं हुए थे।

पत्रावली पर परिवादी की ओर से परिवाद प्रदर्श पी. 1, मृत्यु प्रमाण पत्र हाजी अब्दुल हकीम प्रदर्श पी. 2, मृत्यु प्रमाण पत्र हाजी अब्दुल हकीम की प्रति प्रदर्श पी. 2, जन्म मृत्यु रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 3, मृत्यु प्रतिवेदन फातमा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 4, निर्वाचक नामावली 2017 प्रदर्श पी. 5, निर्वाचक नामावली 2014 प्रदर्श पी. 6, वोटर लिस्ट 1961 प्रदर्श पी. 7, जमाबंदी सम्वत 2012 उमर वल्द मंगतू प्रदर्श पी. 8, जमाबंदी सम्वत 2014 उमर वल्द मंगतू प्रदर्श पी. 9, जमाबंदी सम्वत 2019 उमर हकीम प्रदर्श पी. 10, नामांतरकरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति इब्राहिम पुत्र उमर हकीम प्रदर्श पी. 11, नामांतरकरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उमर हकीम पि० घीसा प्रदर्श पी. 12, जमाबंदी सम्वत 2060–2063 इब्राहिम पुत्र उमर हकीम व फातमा बेवा उमर हकीम की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 13, दावा इब्राहिम बनाम असगर अली वगैरह की सत्य प्रति प्रदर्श पी. 14, शपथ पत्र इब्राहिम की सत्यप्रति प्रदर्श पी. 15, 16, बयान पी०ड० 1 इब्राहिम की सत्यप्रति

प्रदर्श पी. 17, राशनकार्ड अब्दुल हकीम पुत्र घीसा प्रदर्श पी. 18, राशनकार्ड इब्राहिम पुत्र नजमुदीन प्रदर्श पी. 19, राशनकार्ड इब्राहिम पुत्र नजमुदीन प्रदर्श पी. 20, विद्युत विभाग की रसीद हकीम के नाम से प्रदर्श पी. 21 लगायत 24, चूंगी रसीद की प्रति इब्राहिम पुत्र निजामुदीन प्रदर्श पी. 25 लगायत 30, पोस्टकार्ड हाजी अब्दुल हकीम प्रदर्श पी. 31 लगायत 35, इंतजामिया जमीयतुल कुरेश की रसीद हाजी हकीम के नाम से प्रदर्श पी. 36, 37, लिफाफा उमर प्रदर्श पी. 38, पोस्टकार्ड इब्राहिम निजामुदीन प्रदर्श पी. 39, लिफाफा इब्राहिम प्रदर्श पी. 41, पोस्टकार्ड इब्राहिम प्रदर्श पी. 40, एयर मेल लिफाफा इब्राहिम प्रदर्श पी. 42, पशु वितरण कार्ड इब्राहिम प्रदर्श पी. 43 प्रदर्शित करवाये गये हैं।

बचाव पक्ष की ओर से जमाबंदी सम्वत 2012 की प्रति अलादीन वल्द भूरा प्रदर्श डी. 1, जमाबंदी सम्वत 2013 की प्रति प्रदर्श डी. 2, बैंक का बकाया ऋण फार्म की प्रति उमर हकीम के नाम से प्रदर्श डी. 3, नामान्तरकरण उमर हकीम की प्रति प्रदर्श डी. 4, नामान्तरकरण उमर हकीम की प्रति प्रदर्श डी. 5, जमाबंदी सम्वत 2014 उमर वल्द मंगतू प्रदर्श डी. 6, जमाबंदी समवत 2039–2042 उमर हकीम प्रदर्श डी. 7, स्टाम्प प्रदर्श डी. 8 को प्रदर्शित करवाये गये हैं।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में परिवादी असगर अली का अभिकथन है कि उमर तथा हकीम अलग–अलग व्यक्ति थे। उमर परिवादी तथा इब्राहिम के दादा थे। आरोपी इब्राहिम निजामुद्दीन का पुत्र है परंतु हकीम की मृत्यु के पश्चात उसकी सूचना नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ को देकर उमर हकीम मृतक का नाम बताकर उमर हकीम के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसके दादा उमर की परिवाद में उल्लेखित भूमियों को अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा अपनी मां फातमा को भी उमर हकीम की पत्नी बताकर उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया तथा उसके दादा की संपत्तियों को हड़प लिया। पत्रावली पर प्रदर्श पी. 2 मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है जो कि हाजी हब्दुल हकीम का मृत्यु प्रमाण पत्र है जो नगरपरिषद सीकर से जारी हुआ है। पत्रावली पर प्रदर्श पी. 3 संलग्न है जो जन्म और मृत्यु

रजिस्टर की प्रमाणित प्रति है जिसमें उमर हकीम की मृत्यु होने का तथ्य है जिसमें सूचनाकर्त्ता का नाम इब्राहिम बताया गया है। परिवादी का अभिकथन है कि प्रदर्श पी. 3 में दी गई सूचना के आधार पर नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ में झूठा शपथ पत्र देकर धोखाधड़ी करने की नीयत से उमर हकीम पुत्र घीसा के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र 24.02.1999 को प्राप्त कर कूटरचना की जबकि नगरपरिषद सीकर से हाजी अब्दुल हमीद का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है।

पत्रावली पर जमाबंदी सम्वत 2012 उमर वल्द मंगतू प्रदर्श पी. 8, जमाबंदी सम्वत 2014 उमर वल्द मंगतू प्रदर्श पी. 9, जमाबंदी सम्वत 2019 उमर हकीम प्रदर्श पी. 10, जमाबंदी सम्वत 2060–2063 इब्राहिम पुत्र उमर हकीम व फातमा बेवा उमर हकीम की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 13 संलग्न है। परिवादी का अभिकथन है कि आरोपी इब्राहिम उमर हकीम का पुत्र न होकर नजमुदीन का पुत्र है जिस बाबत पत्रावली पर दस्तावेज वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 6, 7 एवं राशनकार्ड प्रदर्श पी. 19 उपलब्ध है जिसमें इब्राहिम के पिता का नाम नजमुदीन है। राशनकार्ड प्रदर्श पी. 20 में भी इब्राहिम पुत्र नजमुदीन का नाम है। दावा प्रदर्श पी. 14 इब्राहिम बनाम असगर वगैरह में भी आरोपी इब्राहिम के पिता का नाम नजमुदीन है। परंतु इसने अपने आपको उमर हकीम का पुत्र बताते हुए उमर के नाम की खातेदारी की जमीन अपने नाम करवा ली। पत्रावली पर दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2012 की प्रति अलादीन वल्द भूरा प्रदर्श डी. 1, जमाबंदी सम्वत 2013 की प्रति प्रदर्श डी. 2, बैंक का बकाया ऋण फार्म की प्रति उमर हकीम के नाम से प्रदर्श डी. 3, नामान्तरकरण उमर हकीम की प्रति प्रदर्श डी . 4, नामान्तरकरण उमर हकीम की प्रति प्रदर्श डी. 5, जमाबंदी सम्वत 2014 उमर वल्द मंगतू प्रदर्श डी. 6, जमाबंदी समवत 2039–2042 उमर हकीम प्रदर्श डी. 7 हैं जिनमें उक्त खातेदारी की जमीन उमर हकीम के नाम से चढ़ी हुई है। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि कुछ जमाबंदियां उमर हकीम के नमा से है तथा कुछ जमाबंदियां उमर के नाम से है। प्रदर्श डी. 8 जो कि मोर्गेज डीड है जो कि दिनांक 02.06.1973 को उमर हकीम की ओर से उक्त खसरा नंबर की भूमियां जिनका उल्लेख परिवाद में है, पंजाब नेशनल बैंक में

गिरवी रखी गई थी जिससे यह दर्शित होता है कि परिवाद में उल्लेखित उक्त खसरा नंबर की जमीन उमर हकीम के नाम से थी। दौराने बहस अधिवक्ता परिवादी ने यह जाहिर किया है कि प्रदर्श पी.8 पर ए से बी जो हस्ताक्षर है, वह उमर हकीम के नहीं है क्योंकि उमर हकीम अनपढ़ व्यक्ति था तथा अंगूठा लगाता था। परंतु इस बाबत पत्रावली पर कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि उमर हकीम के प्रदर्श पी. 8 पर ए से बी जो हस्ताक्षर है वह उमर हकीम द्वारा किये गये है या नहीं किये गये हैं। दौराने जिरह परिवादी असगर अली ने स्वीकार किया है कि सन् 1973 में जो मोर्गेज डीड निष्पादित हुई, उस समय उमर व हकीम दोनों जिंदा थे। उक्त मोर्गेज डीड को सन् 2011 तक किसी के द्वारा भी विवादित नहीं किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शित करें कि इब्राहिम ने स्वयं को उमर का वारिस होने बाबत कोई प्रार्थना पत्र संबंधित लोक अधिकारी को दिया हो जिसके आधार पर उमर की जमीन इब्राहिम तथा उसकी मां फातमा के नाम दर्ज हो तथा फातमा की मृत्यु के पश्चात इब्राहिम के नाम पर दर्ज हुई हो। संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि नामांतरण वगैरह की प्रक्रियाओं के दौरान विवादित खसरा नंबर की भूमि कभी उमर के नाम से तथा कभी उमर हकीम के नाम से दर्ज होती रही है। न्यायालय के मतानुसार उक्त कार्यवाहियां राजस्व अधिकारियों की गलती से ही हुई है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जो यह दर्शित करें कि आरोपी इब्राहिम ने स्वयं को उमर हकीम का वारिस बताते हुए कोई प्रार्थना पत्र राजस्व अधिकारियों को दिया हो। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 भा०दं०सं० का आरोप है जिसके लिए यह दर्शित करना होगा कि परिवादी को उत्प्रेरित कर आरोपी ने संपत्ति प्राप्त की हो। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है।

यदि तर्क के प्रयोजन से यह मान भी लिया जावे कि उमर की खातेदारी इब्राहिम के नाम गलत रूप से दर्ज हो गई है तब भी परिवादी के पास यह उपचार उपलब्ध है कि वह राजस्व न्यायालय में जाकर रिकॉर्ड दुरूस्ती बाबत दावा पेश कर सकता है। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि रहीमबक्श द्वारा विवादित खसरा नंबर की भूमियों के संबंध में एक दावा उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं

बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबंध में 2007 में दायर किया था जिसमें भी परिवाद में उल्लेखित भूमियों का वर्णन है जिनमें खसरा नंबर 341 रकबा 2.70 हैक्टेयर में स्वयं का 1/3 हिस्सा उद्घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है परंतु उक्त दस्तावेज को परिवादी द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी एवं परिवादी के मध्य राजस्व न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जब 2007 में परिवादी पक्ष को इस तथ्य की जानकारी थी कि इब्राहिम ने गलत रूप से उमर की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली तब भी 2011 तक उसने आपराधिक कार्यवाही क्यों नहीं की।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार आरोपी को धारा 420 भा०दं०सं० के आरोप से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।